

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

24-ऋषिकेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल निवासी— 225 गंगा विहार, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान— देहरादून।

तारीख— 10.03.2022

हस्ताक्षर.....
रिटर्निंग ऑफिसर
विधान सभा निर्वाचन
ऋषिकेश

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State from **24-Rishikesh Assembly constituency** .

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961 I declare that-

Shri Prem Chand Aggarwal, 225 Ganga vihar Rishikesh District – Dehradun Uttarakhand Sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Dehradun.
Date 10-03-2022

Signature-----
Returning Officer

